


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2022 दिनांक 25.02.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी वेतन आहरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं-	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वेतन अवधि	संशोधन
1	2	3	4
1	देवेन्द्र प्रसाद प्रधानाचार्य महात्मा गांधी-राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) अवार कुम्हेर, भरतपुर	जनवरी 2022 से लगातार	वेतन व्यवस्था आदेश में क.सं. 05 पर अंकित कार्मिक के संबंध में कॉलम संख्या 02 में कार्मिक का नाम देवेन्द्र यादव के स्थान पर देवेन्द्र प्रसाद पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतनव्यवस्था संशोधन/2022/5 दिनांक 08-06-22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक